न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web copy - Not Official

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 14/2016

श्री प्रदीपकुमार राजपूत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

मै0 मारूति किरयाना स्टोर, वार्ड नं 11, 3 एसटीआर, नई मण्डी घडसाना, जिला श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 3(1)(जैडएफ)(सी)(आई) ऑफ
फूड सैफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड एक्ट 2006

निर्णय दिनांक : 23.08.2016

सक्षेंप में प्रकरण के सुसंगत एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रदीपकुमार राजपूत दिनांक 06–06–12 से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी, श्री गंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य सम्पादन कर रहे हैं और उसे राज्य सरकार के आदेश कमांक एच/पीएफए/एफएसएसए/नोटिफिकेशन 2012/568 दिनांक 28–5–12 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। शासन की अधिसूचना/2011/496 दिनांक 18–8–11 के अनुसार इनका कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर आवंटित किया गया है और जिला श्री गंगानगर के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में बताए गए हैं।

श्री प्रदीप कुमार राजपूत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.03.2016 को 10:40 ए.एम. पर वास्ते चैकिंग मै. मारूति किरयाणा स्टोर, वार्ड नं 11, 3एसटीआर, नई मण्डी घडसाना पर पहुंचे वहां श्री सांवरमल पुत्र सत्यानारायण मौजूद मिले। संस्थान में लगभग 20 पैकेट हल्दी पाउडर बिक्री हेतु रखे हुए थें उसमें मिलावट का शक होनें पर उसमें से 500 ग्राम के 04 पैकेट (वजन 2 कि.ग्रा.) वास्ते नमूना जांच संख्या के–696 लिया गया और खरीदशुदा हल्दी पाउडर की कीमत अखरे रूप्ये 300–00 रूप्ये गवाह श्री गणेश एवं राकेश सचदेवा के समक्ष श्री सांवर मल को देकर रसीद प्राप्त की। सांवरमल को फार्म नं0 5 ए पर नोटिस देकर बता दिया था कि नमूना वास्ते जॉच लिया गया है, जिसको पढ़ समझ कर सही मानकर सांवरमल ने हस्ताक्षर किये। फार्म नं0 5 की एक प्रति सांवरमल को देकर रसीद प्राप्त की गई। खरीद शुदा हल्दी पाउडर पैकेट को चार साफ सूखी खाली पैकेटों में बराबर –2 डालकर लेबल तैयार किये और उन पर खाद्य नमूना सं0 के–696 एवं अन्य विवरण दर्ज कर उन पर स्वंय ने व विकेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये और इनको प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाया गया। प्रत्येक डिब्बे को खाकी कागज से लपेट कर प्रत्येक डिब्बे पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा स्लिप के–696 नियमानुसार नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक डिब्बे को धागे से बॉध कर चार–चार जगह सील चपड़ी किया और प्रत्येक डिब्बे पर सावंरमल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप एवं रेपर दोनों पर आवें। इन चारों सील्ड डिब्बों पर नियमानुसार गवाह राकेश सचदेवा एवं गणेश के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय ने किये और इन चारों सील्ड डिब्बों को अपने कब्जे में ले लिया। इस समस्त कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई। इसके पश्चात् फार्म नं0 6 की सात प्रतियॉ तैयार की गई और प्रत्येक पर सील नमूना अंकित किया गया। जॉच नमूनों की कार्यवाही सम्पूर्ण की गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

14/2016 — अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) A5/2

श्रीगंगानगर (राजस्थान)

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना सं0 के–696 की एक सील्ड पैकेट को फार्म नं0 6 की एक प्रति के साथ सील बन्द कर जन विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर के पास जॉच हेतु भिजवाई, जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई और फार्म नं. 6 की द्वितीय प्रति, जिसमें सील नमूना अंकित था, अलग से जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर को भिजवाई, जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। खाद्य नमूना के–696 के द्वितीय एवं तृतीय भाग को फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर एवं खाद्य नमूना के चतुर्थ भाग को फार्म नं0 6 की एक प्रति के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी के पास जमा करवा दिया। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/692/एक्ट/2016/1461 दिनांक 12.04.2016 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–696 हल्दी पाउडर पैकेट मिसब्राण्ड होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर ने, पत्र क्रमांक 7258 दिनांक 25.05.2016 की पालना में अभियुक्त के विरूद्ध एफ एस एस ए एक्ट 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 25.05.2016 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने जवाब पेश नहीं किया तथा निवेदन किया कि उसके प्रकरण का निस्तारण कर दिया जाये।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया हल्दी पाउडर का सैम्पल के–696 जाचं रिपोर्ट क्रमांक एलएस/692/एक्ट/2016/1461 दिनांक 12.04.2016 द्वारा मिसब्राण्ड होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 3(1)(zf)(C)(i) of फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड एक्ट 2006 के उल्लंधन का अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से जवाब प्रस्तुत नही किया गया है। अभियुक्त द्वारा निवेदन किया गया कि नरमी का रूख अपनाते हुए उसके प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस एलएस/692/एक्ट/2016/1461 दिनांक 12.04.2016 के अवलोकन से हल्दी पाउडर का सैम्पल मिसब्राण्ड पाया गया है।

इस प्रकार खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में लिये गये सैम्पल के–696 को मिसब्राण्डेड फूड माना है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नही है।

फलस्वरूप सांवरमल को एफएसएस खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(A)(i) एवं स्टैण्डर्ड एक्ट 2006 में लिये गये The sample of हल्दी पाउडर के–696 के मिसब्राण्ड पाये जाने के कारण दोषी करार दिया जाता है।

फलतः अभियुक्त सांवरमल को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(A)(i) एवं स्टैण्डर्ड एक्ट 2006 के अन्तर्गत राशि रूपये 4000/– (अखरे रूपये चार हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/8/16

(करतारसिंह पूनियाँ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)